



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2798]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 29, 2016/अग्रहायणा 8, 1938

No. 2798]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 29, 2016/AGRAHAYANA 8, 1938

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2016

का.आ. 3576(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 14 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद से परामर्श करने के पश्चात उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:-

भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की दूसरी अनुसूची के "आयुर्वेद और सिद्ध" संबंधी भाग-1 में "मध्यप्रदेश" शीर्षक के अधीन अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा संबंधी क्रम संख्यांक 54क के सामने,

(क) स्तंभ 4 में "बैचलर आफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बी.ए.एम.एस." के समक्ष की गई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात:-

"1975 से 1987 तक, यदि उन विद्यार्थियों को दी जाती है जिन्हें भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद की अनुज्ञा से राजकीय (स्वायत्त) आयुर्वेद महाविद्यालय निपानिया, रीवा में प्रवेश दिया गया था",

(ख) स्तंभ 2,3 और 4 में विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टियां क्रमशः रखी जाएंगी, अर्थात:-

1	2	3	4
	"आयुर्वेदाचार्य (बैचलर आफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी)	बी.ए.एम.एस	1988 से 2012 तक, यदि उन विद्यार्थियों को दी जाती है जिन्हें भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद की अनुज्ञा से राजकीय (स्वायत्त) आयुर्वेद महाविद्यालय निपानिया, रीवा में प्रवेश दिया गया था; 2013 से आगे, यदि उन विद्यार्थियों को दी जाती है जिन्हें केंद्रीय सरकार की अनुज्ञा से राजकीय (स्वायत्त) आयुर्वेद महाविद्यालय निपानिया, रीवा में प्रवेश दिया गया था;
	आयुर्वेद वाचस्पति	एम.डी. (आयुर्वेद)	2005 से 2009 तक, यदि उन विद्यार्थियों को दी जाती है जिन्हें भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद की अनुज्ञा से राजकीय (स्वायत्त) आयुर्वेद महाविद्यालय निपानिया, रीवा में प्रवेश दिया गया था; 2010 से आगे, यदि उन विद्यार्थियों को दी जाती है जिन्हें केंद्रीय सरकार की अनुज्ञा से राजकीय (स्वायत्त) आयुर्वेद महाविद्यालय निपानिया, रीवा में प्रवेश दिया गया था।"

[फा. सं. वी.12013/08/2008-आयु. डेस्क]

अनुराग श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की दूसरी अनुसूची में पहला संशोधन अधिसूचना संख्या का.आ. 4068 (अ) तारीख 30 नवंबर, 1979 द्वारा किया गया था और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या संख्या का.आ. 3414 (अ) तारीख 26 अक्टूबर, 2016 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY
NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2016

S.O. 3576(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Government, after consulting the Central Council of Indian Medicine, hereby makes the following further amendments in the Second Schedule to the said Act, namely:-

In the Second Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970, in PART- I relating to "Ayurveda and Siddha", under the heading "Madhya Pradesh", against serial number 54A relating to Awadesh Pratap Singh Vishwavidyalaya, Rewa,

- (a) in column 4 against "Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery, B.A.M.S." for the entry, the following entry shall be substituted, namely :-

"From 1975 to 1987, if granted to the students admitted with the permission of the Central Council of Indian Medicine in the Government (Autonomous) Ayurved College Nipaniya, Rewa.";

(b) in columns 2,3 and 4 after the existing entries, the following entries shall respectively be inserted, namely:-

1	2	3	4
	"Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery)	B.A.M.S.	From 1988 to 2012, if granted to the students admitted with the permission of the Central Council of Indian Medicine in the Government (Autonomous) Ayurved College Nipaniya, Rewa; From 2013 onwards, if granted to the students admitted with the permission of the Central Government in the Government (Autonomous) Ayurved College Nipaniya, Rewa.
	Ayurved Vachaspati	M.D. (Ayurveda)	From 2005 to 2009, if granted to the students admitted with the permission of the Central Council of Indian Medicine in the Government (Autonomous) Ayurved College Nipaniya, Rewa; From 2010 onwards, if granted to the students admitted with the permission of the Central Government in the Government (Autonomous) Ayurved College Nipaniya, Rewa."

[F. No. V.12013/08/2008-Ay.Desk]

ANURAG SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Note: The Second Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) was first amended *vide* notification number S.O. No. 4068 (E), dated the 30th November, 1979 and was last amended *vide* notification number S.O.No.3414(E), dated the 26th October, 2016.